

30/6/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीर्घकालीन कार्य में व्यस्त है, जिससे इंतजाम
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 18/10/22 को पेश की जायेगी।

14/03/22 पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उप एवं शर्मा स्वयं उप
शुद्धि मूल्वाद को जरूरी शर्तों के बिना विद्वो कर दिया गया है
हा इन आवेदन को आगे चालाने का कोई औचित्य नहीं है
इस आवेदन की शर्तवाही इती स्तर पर समाप्त की जाती है
पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी स्वयं गन आदेश दिनांक
27/07/2021 को शर्मा-शर्मा किया जाता है। पत्रावली के लिये
कुमार होकर दायित्व दफ्तर हो। मूल्वाद के संलग्न हो।

पत्रावली

वकील
शर्मा

Sharma